बासल II के प्रति दृष्टिकोण*

श्यामला गोपीनाथ

देवियो और सज्जनो, मुझे खुशी है कि मैं 'जोखिम प्रबंध में उभरते प्रतिमान' विषय पर आयोजित सेमिनार में उपस्थित हूं। जैसा कि मुझसे आशा की गई है, आज मैं अपने व्याख्यान में आपके साथ बासल II के संदर्भ में उभरनेवाले कुछ मुद्दों पर विनियामक दृष्टिकोण, उसकी प्रक्रिया और सोच के संबंध में व्यापक रूपरेखा पर विचारों का आदान-प्रदान करना चाहूंगी।

बासल II का उद्देश्य है - आधुनिक जोखिम प्रबंध तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना कि उनकी जोखिम प्रबंधन की क्षमताएं उनके कारोबार के जोखिमों के अनुरूप हैं। पहले विनियामकों का मुख्य ध्यान ऋण जोखिम और बाजार जोखिम पर केंद्रित होता था। बासल II ऋण जोखिम के संबंध में एक अधिक समुन्नत दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें यह बैंकों को यह अनुमति देता है कि वे ऋण जोखिम के लिए अपनी पूंजीगत अपेक्षाओं की गणना करने के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण या जिसे वे 'आइआरबी' दृष्टिकोण कहते हैं, का उपयोग करें। यह, बाजार जोखिम के अलावा पूंजी प्रभार परिचालन जोखिम के लिए स्पष्ट पूंजी प्रभार भी शुरू करता है। इन तीनों जोखिमों - ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के साथ - इसे 'तीन पिलरोंवाला' जोखिम कहा जाता है।

बैंकों के जोखिम प्रबंध कार्यों को इसके मुकाबले जोखिमों के एक व्यापक दायरे को देखने की जरूरत है - बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम, चलनिधि जोखिम, कारोबारी चक्र जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, रणनीतिगत जोखिम । आधुनिक युग की बैंकिंग में इन जोखिमों को पहचानने, मूल्यांकित करने, उनकी निगरानी करने, उनका प्रबंधन करने तथा उनका नियंत्रण या न्यूनतम करने में सहायता करने की जोखिम प्रबंधन संबंधी भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। शायद, यदि यह कहा जाए कि बैंक के जोखिम प्रबंध की गुणवत्ता किसी बैंक की सफलता की प्रमुख निर्धारक हो गई है, तो यह इसकी महत्ता की अतिशयोक्ति नहीं होगी।

भारत में बासल II की ओर बढ़ने की नीति सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करना है और इस प्रक्रिया में जोर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के साथ सामरस्य बनाने पर है। भारत में वाणिज्यिक बैंक बासल II को 31 मार्च 2007 से लागू करना शुरू करेंगे, हालांकि जैसा कि गवर्नर महोदय ने संकेत दिया है, तैयारी की स्थिति को देखते हुए इस तारीख से आगे कुछ मामूली-सा समय और बढ़ाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बासल-II ढांचा कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराता है, तो भी इन विकल्पों पर विचार करते हुए बैंकिंग प्रणाली के उन्नयन और विकास के स्तरों में अंतरों पर विशेष ध्यान दिया गया और यह निर्णय किया गया कि भारत में बैंक प्रारंभ में ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और परिचालनगत जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाएंगे। संभावित दृष्टिकोण के अपनाए जाने पर निर्णय लेते समय कार्यान्वयन की लागत तथा अनुपालन की लागत के मुख्य मुद्दे शामिल थे।

मुख्य मुद्दों पर आने से पहले, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि समग्रतः यह पूंजी ही है जो वित्तीय प्रणाली को स्थिर बनाती है। आम तौर पर, प्रत्याशित हानियों को आय में तथा प्रावधान से पूरा करना होता है और इसलिए जोखिम मूल्य के सही-सही आंकने की जरूरत हैं। अप्रत्याशित हानियां या प्रत्याशाओं के सामान्य दायरे के बाहर की हानियों को पूंजी द्वारा पूरा करने की जरूरत होती है।

अब मैं बासल II के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों तथा अन्य उभरते हुए मुद्दों की संक्षिप्त समीक्षा करना चाहूंगी।

- मई 2004 में अपने वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने यह घोषणा की थी कि भारत में बैंकों को बासल II के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों की गहराई से जांच करनी चाहिए तथा दिसंबर 2004 के अंत तक बासल II की ओर बढ़ने के लिए भावी पथ का खाका तैयार करना चाहिए तथा इस दिशा में की गई प्रगति की तिमाही अंतरालों पर समीक्षा करनी चाहिए।
- जुलाई 2004 में रिज़र्व बैंक ने मुख्यतः बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को बासल II के मानदंडों से उभरने वाले अवसरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक दो दिन की गोष्ठी का आयोजन किया था।
- उसके तुरंत बाद अगस्त 2004 में सभी बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे बासल II के अंतर्गत शामिल तीन प्रमुख जोखिमों के विशेष संदर्भ में स्थापित की गई विभिन्न जोखिम प्रबंध प्रणालियों का स्वयं आकलन करें तथा नए ढांचे में निर्धारित न्यूनतम मानकों से

* श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 12 मई 2006 को बंगलूर में 'जोखिम प्रबंधन में उभरते प्रतिमान' विषय पर आइबीए के परिचात्मक सत्र में दिया गया मुख्य भाषण। इस भाषण की तैयारी में श्री के.दामोदरन की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

मेल खाते हुए अपनी प्रणालियों को अद्यतन करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करें।

- बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि जैसा कि नए ढांचे के पिलर II के अंतर्गत अपेक्षित है, वे पूंजी-पर्याप्तता-आकलन-प्रक्रिया (सीएएपी) को बनाएं और उसे परिचालन में लाएं।
- रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2005 में परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन पर एक मार्गदर्शी नोट जारी किया जो वैज्ञानिक परिचालन जोखिम प्रबंध ढांचे की स्थापना करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करेगा।
- हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि बैंकों के पास कारोबार के आकार तथा उसकी जटिलता, जोखिम के प्रति सोच, बाजार की अवधारणा तथा पूंजी के प्रत्याशित स्तर द्वारा निर्धारित उनकी अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त जोखिम प्रबंध ढांचा हो।
- 23 बैंकों में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) प्रायोगिक आधार पर किया गया।
- सामान्य परंपरा के अनुसार तथा निर्बाध रूप में बासल II की ओर बढ़ना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, बासल II के लिए डिजाइन करने और लागू करने के लिए एक परामर्शी तथा सहभागी दृष्टिकोण को अपनाया गया। एक संचालन समिति, जिसमें 14 बैंकों (सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, गठित की गई, जिसमें भारतीय बैंक संघ (आइबीए) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। इस संचालन समिति ने विशिष्ट मुद्दों से निपटने के लिए उप समूह बनाए। संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे को लागू करने पर ड्राफ्ट रूप में मार्गदर्शी दिशानिदेश बैंकों को जारी कर दिए गए हैं।
- रिज़र्व बैंक ने संचालन समिति के उप समूह का गठन किया है जो पिलर-II के पहलुओं के संबंध में उन मार्गदर्शी दिशानिदेशों पर सिफारिश करेगा जो बैंकों द्वारा की जानी अपेक्षित हो सकती हैं। पिलर-II पहलुओं के संबंध में बैंकों को जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित इन मार्गदर्शी दिशानिदेशों में बैंक स्तर पर की जाने वाली वे पहलें शामिल होंगी जो पिलर-II के अंतर्गत अपेक्षित हो सकती हैं।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के बासल-II सिद्धांतों को निर्धारित करते समय उनके पीछे सोच यह थी कि इसका परिणाम क्षेत्र को और आगे बांटने के रूप में नहीं होना चाहिए। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, भले ही वे छोटे हों या बड़े, 31 मार्च 2007 से ऋण जोखिम के लिए मानक दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण अपनाएंगे। तथापि अनुसूचित वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की यह विद्यमान तीन स्तरीय संरचना जारी रह सकती है। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे बासल I के अनुसार ऋण और बाजार जोखिम - दोनों के लिए पूंजी बनाए रखेंगे; दूसरे पथ पर सहकारी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे बासल - I के ढांचे में की गई अपेक्षानुसार ऋण जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखेंगे तथा बाजार जोखिम के लिए प्रतिनिधियों के माध्यम से पूंजी बनाए रखेंगे। तीसरे पथ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास न्यूनतम पूंजीगत अपेक्षा है जो बासल I ढांचे के समकक्ष नहीं है।

बुनियादी स्तर पर बासल II की ओर बढ़ने को अपनाकर, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली के लिए बासल II के अनुपालन की लागतों को काफी सीमा तक घटा दिया है। एक तरह से, प्रारंभिक पहलों जिनकी भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए पहचान की गई थी, वे बिल्कुल बासल I की पद्धति जैसी हैं। उदाहरण के लिए -

क) बासल I और बासल II के बीच पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए पद्धति मे कोई परिवर्तन नहीं हैं।

ख) बीआइए के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना बहुत आसान है, और इसमें कोई अनुपालन लागत नहीं आएगी,

ग) ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना में कुछ अधिक खुरदरे स्तर पर सूचनाओं के संकलन शामिल हैं जो विद्यमान एमआइएस में मामूली-सा परिवर्तन करके प्राप्त किए जाने की आशा है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में यह पूर्णतः सही आकलन नहीं होगा कि बासल II के प्रारंभिक स्तरों के अनुपालन विनियामक अनुपालन की लागत को काफी बढ़ा देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी, परंतु प्रणाली में उपलब्ध मार्जिन जो वर्तमान में जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी अनुपात के रूप में 12 प्रतिशत से ऊपर हैं, कुछ राहत प्रदान करता है। बैंकों में भी पूंजी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न रास्तों का पता लगाना शुरू कर दिया है। रिज़र्व बैंक ने अपनी ओर से नीति संबंधी दिशानिदेश जारी कर दिए हैं जो बैंकों को अनेक लिखतें जैसे - नवोन्मेषी दीर्घकालीन ऋण लिखतें, दीर्घकालीन गैर आवर्ती अधिमान शेयर, उन्मोचनीय आवर्ती अधिमान शेयर तथा मिश्रित ऋण लिखतें जारी करने में समर्थ बनाएंगे ताकि वे अपने पूंजी जुटाने के विकल्पों को बढ़ा सकें।

बासल II के कार्यान्वयन की सही लागत का वस्तुनिष्ठ रूप से आकलन करने की दृष्टि से बैंकों को विधिवत सूचित किया जाएगा कि वे अंतर्निहित लागत का सही आकलन कराने के लिए आंतरिक अध्ययन दल गठित करें जो पूर्णतः प्रारंभिक पहलों के लिए होगा। बैंकों से हमें प्राप्त प्रतिसूचना यह दर्शाती है कि वे बासल II को लागू करना 'महंगा' कार्य नहीं मानते।

तथापि, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अपनी जोखिम प्रबंध प्रणालियों को सुधारने के लिए उनके द्वारा किए गए व्यय में (सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी संरचना, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जोखिम मॉडल आदि पर किए गए व्यय को बासल II के अनुपालन लागत के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वे खर्चे हैं जो किसी बैंक को अपनी दक्षता में सुधार लाने के लिए अपने कारोबार में सामान्यतः करने ही होंगे।

परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिम वह क्षेत्र है, जिसमें बैंकों के लिए पूंजीगत अपेक्षा में वृद्धि की आशा की गई थी। रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2004 में यह घोषित किया था कि भारत में बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) को अपनाएंगे। इसके बाद फरवरी 2005 में बासल II ढांचे के लिए मार्गदर्शी निदेशों का ड्राफ्ट जारी किया गया जिसमें बीआइए के अंतर्गत पूंजीगत अपेक्षाओं की गणना के लिए पद्धति बैंकों को स्पष्ट की गई थी। प्रणाली स्तर पर भी हम यह पाते हैं कि बैंकों का सीआरएआर वर्तमान में 12 प्रतिशत से पर्याप्त अधिक है। इससे पता चलता है कि न्यूनतम सीआरएआर को भंग किए बिना भी परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त मार्जिन प्राप्त है।

यह भी धारणा है कि परिचालनगत जोखिम के लिए अपेक्षित पूंजी बीआइए के अंतर्गत अपेक्षित पूंजी से अग्रिम दृष्टिकोणों द्वारा अपेक्षित पूंजी का स्तर निम्न होगा। मैं ऐसा मानती हूं कि बैंकों में परिचालनगत जोखिम प्रबंध प्रणालियों की गुणवत्ता के ब्यौरों तथा उनके परिचालनगत जोखिमों में हानियों का अनुभव न होने के कारण बैंकों के लिए यह ठीक नहीं होगा कि वे यह मान लें कि अग्रिम दृष्टिकोणों को अपनाने से उन्हें न्यूनतर पूंजी की जरूरत होगी।

उस विशिष्ट मुद्दे पर जिस पर मुझे संक्षेप में बोलने की अपेक्षा थी उस पर विस्तार से बोलने के बाद अब मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करूंगी।

रेटिंग एजेंसियां

बासल II की अपेक्षाओं की दृष्टि से, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक यह निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं कि रेटिंग एजेंसियां पात्रता मापदंड पूरा करती हैं या नहीं। विनिर्दिष्ट मापदंड हैं, आकलन पद्धति में वस्तुनिष्ठता, दबावों से मुक्त, पारदर्शिता, पर्याप्त प्रकटीकरण, उच्च स्तर की गुणवत्ता वाले क्रेडिट को आकलन और विश्वासनीयता के लिए पर्याप्त संसाधन।

भारत में चार रेटिंग एजेंसियां हैं जिनमें से तीन अंशतः /पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेसियों द्वारा धारित हैं। विकासशील देशों की तुलना में रेटिंग कारोबार का प्रसार वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है तथा भारी संख्या में कंपनियों के पूंजी निर्गमों की रेटिंग की गई है। तथापि, चूंकि यह रेटिंग निर्गमों की की जाती है निर्गमकर्ता की नहीं, वस्तुतः यह गैर खुदरा ऋण / निवेश जोखिमों के संबंध में ऋण जोखिम के लिए केवल बासल I को लागू करने में ही आ सकती है। जबकि बासल II इस रेटिंग की व्याप्ति निर्गमों से निर्गमकर्ताओं पर भी लागू करने की मंशा रखती है, परंतु यह केवल मोटा-मोटा अनुमान ही होगा तथा प्रणाली के लिए यह आवश्यक होगा कि निर्गमकर्ताओं की रेटिंग करने की ओर बढ़ा जाए। इस संबंध में निर्गमकर्ताओं की रेटिंग करना, आवश्यक होगा।

एक आंतरिक कार्य दल ऐसी घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पहचान करने की प्रक्रिया की जांच कर रहा है जो बासल II में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हों। यह आशा की जाती है कि यह प्रक्रिया जल्दी ही पूरी हो जाएगी तथा बैंकों को उन रेटिंग एजेंसियों के ब्यौरे भेज दिए जाएंगे जो पात्र हैं। इसके बाद उधारकर्ताओं से यह अपेक्षित होगा कि वे अपनी रेटिंग कराने के लिए रेटिंग एजेंसियों से संपर्क करें । ऐसा न करने पर बैंकों पर बिना रेटिंग वाले उधारकर्ताओं के लिए 100 प्रतिशत की जोखिम भारांक देने से रोक दिया जाएगा।

रिज़र्व बैंक ने सभी चारों रेटिंग एजेंसियों को आमंत्रित किया है कि वे पात्रता मानदंडों पर अपने-अपने आलेख प्रस्तुत करें तथा इन मानदंडों के संबंध में भी अपना आकलन दें। इन रेटिंग एजेंसियों ने अपना प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत कर दिया है, और इनकी जांच हो रही है तथा साथ ही रेटिंग एजेंसियों को मान्यता देने के लिए भी, जिनकी रेटिंग बैंकों द्वारा जोखिम आकलन के प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती है।

उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ना

बैंकों और साथ ही पर्यवेक्षकों, दोनों द्वारा पर्याप्त कौशल विकसित कर लिए जाने के बाद, कुछ बैंकों को आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि केवल कुछ बैंकों से ही उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ने की अपेक्षा है - वह भी कुछ समय के बाद, तत्काल नहीं। अतः छोटे बैंकों को यह सलाह दी गयी है कि वे अपने संसाधनों को प्रारंभिक दृष्टिकोणों की कार्य-प्रणाली को समझने के लिए उपयोग में लाएं तथा उन न्यूनतम अपेक्षाओं को पहचानें जिनकी ये दृष्टिकोण मांग करते हैं। यह उनके ही हित में होगा कि वे ऐसे आवश्यक कदम उठाएं जो प्रारंभिक दृष्टिकोणों को प्रभावी और सार्थक बनाते हों।

चूंकि नए पूंजी-पर्याप्तता ढांचे के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों को लागू करने के लिए एक सुस्थापित जोखिम प्रबंध प्रणाली पूर्व-शर्त है, अतः बैंकों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे इस ढांचे में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच करें और बासल II की ओर बढ़ने के लिए रास्ता तैयार करें। बैंकों से प्राप्त प्रतिसूचना यह सुझाती है कि कुछ ही बैंक उन्नत दृष्टिकोण को लागू करने में रुचि रखते हैं, परंतु सभी बैंक तत्काल ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं हैं और इसलिए कुछ समय बाद उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। बासल II में यह प्रावधान है कि बैंकों को, यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि वे ढांचे में निर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं को न केवल अपनाने की ओर बढ़ने के समय पर ही, बल्कि निरंतर आधार पर पूरा करते हैं, पर्यवेक्षकों के विशिष्ट अनुमोदन के बाद ही उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। (बैंकों द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम अपेक्षाएं

निम्नलिखित से संबंधित हैं - (क) आंतरिक रेटिंग प्रणाली की डिजाइन, (ख) जोखिम रेटिंग प्रणाली संबंधी परिचालन, (ग) कंपनी संचालन और पर्यवेक्षण, (घ) आंतरिक रेटिंगों का उपयोग, (ङ) जोखिम का परिमाणीकरण, (च) आंतरिक अनुमानों का वैधीकरण, (छ) पट्टेदारी की पहचान के लिए अपेक्षाएं, (ज) इक्विटी जोखिमों के लिए पूंजी प्रभारों की गणना, तथा प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं।) अतः यह आवश्यक है कि जो बैंक उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ना चाहते हैं वे इन दृष्टिकोणों की ओर बढ़ने से पहले इनकी न्यूनतम अपेक्षाओं की अपनी अनुपालन स्थिति का भलीभांति आकलन कर लें। इस संदर्भ में, रेटिंगों के संदर्भ में स्वीकार्य तथा गुणात्मक पुराने आंकड़ों के साथ-साथ अपेक्षित डाटाबेस बनाने और उन्हें बनाए रखने में निहित लागत की वर्तमान में अनुपलब्धता बासल II के अंतर्गत उपलब्ध उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ाने की गति को प्रभावित करती है।

उन बैंकों को जो अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय हैं, अपनी जोखिम प्रबंध प्रणालियों को उल्लेखनीय रूप से सुधारने तथा बासल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ने के प्रयास करने चाहिए क्योंकि उन्हें इन अंतरराष्ट्रीय बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी जो उन्नत दृष्टिकोणों को अपना रहे हैं। यह रणनीति उन अन्य बैंकों के लिए भी प्रासंगिक होगी जो, उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने की स्थिति से इन बैंकों को निम्नतर पूंजी बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं। तथापि, यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि पूंजीगत अपेक्षाओं और सूचना की आवश्यकताओं के बीच विपरीत संबंध है। उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणालियों की जरूरत होगी जो बैंक को बेहतर आंकड़ा से संग्रहण में सहायता करती है, उच्च गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों को समर्थन देती है, तथा विस्तृत आंकड़ा विश्लेषण के लिए संभावना उपलब्ध कराती हैं जो उन्नत दृष्टिकोणों के लिए अनिवार्य है। अतः उन्नत दृष्टिकोण अपना कर भी निम्नतर पूंजी बनाए रखने के उद्देश्यवाले बैंकों को भी उच्चतर सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहना होगा।

जहां उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ना कारोबारी निर्णय होगा, मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगी जो संभवतः इन निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं :

- उन्नत दृष्टिकोणों का अनुपालन छोटे बैंकों के लिए आदेशात्मक नहीं होगा जो परंपरागत बैंकिंग कारोबार चला रहे हैं और जिनकी उपस्थिति क्षेत्रीय या सीमित है।
- बासल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों को लागू करने की फैशनेबल नहीं माना जाना चाहिए तथा प्राथमिक दृष्टिकोणों को लागू करना कोई घटिया या छोटी बात नहीं मानी जानी चाहिए।
- उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ने का निर्णय भलीभांति सोच समझकर लिया जाना चाहिए, यह बैंक के बोर्ड का सतर्कतापूर्वक लिया गया निर्णय होना चाहिए जिसके लिए उन्हें केवल बैंक की इन दृष्टिकोणों के अंतर्गत पूंजीगत अपेक्षाओं की गणना करने की क्षमताओं को ही ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि बैंक के जोखिम प्रोफाइल को बनाए रखने तथा उसके फलस्वरूप विभिन्न स्थितियों में, विशेषकर, तनाव की परिस्थितियों में भी पूंजी के स्तरों को बनाए रखने की अपनी क्षमता की भी गणना करनी होगी ।
- उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बढ़ने की पूर्वापेक्षाओं में शामिल होंगे - (क) सुस्थापित, दक्ष और स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन का ढांचा, (ख) सुस्थापित, दक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी तथा एमएसआइएस बुनियादी संरचना; (ग) उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने के लागत-लाभ विश्लेषण; (घ) सभी समयों पर उपयुक्त कौशलों की उपलब्धता तथा ऐसी कौशल /दक्षताओं को आकर्षित करने /बनाए रखने की क्षमता, तथा (ङ) सुस्थापित, प्रभावी और स्वतंत्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली-तंत्र जो जोखिम प्रबंध प्रणालियों को समर्थन दे सके।

मुझे आशा है कि बाद के सत्रों में इन मुद्दों पर काफी विस्तार से चर्चा होगी। यह संपूर्ण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है कि वह उससे जुड़ी सभी लागतों और लाभों के साथ बासल II की बुनियादी सोच को समझे और उसे आत्मसात करे।

निःसंदेह, जोखिम प्रबंध के अनुशासन (विचारधारा) ने बैंकिंग के लोकाचार को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में बदल दिया है। परंतु निष्कर्ष में मैं जिस एक मुद्दे पर जोर देना चाहूंगी वह है - बैंकों को व्यापक सर्वांगीण हित में इन जटिल वित्तीय लिखतों द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों पर विचार करना चाहिए। आज अंतरराष्ट्रीय रूप से, जब बाजार अनुशासन को विनियामक ढांचे का अंतरंग भाग माना जाता है तो बैंकों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे यह महसूस करें कि आगे आने वाली वित्तीय स्थिरता के लिए वे समान रूप से सहभागी हैं और इसमें सभी पणधारियों में जोखिम प्रबंध की संस्कृति का निर्माण करने में सहायता करना भी शामिल है। जोखिम की आवश्यकताओं से मेल न खाती हुई प्रणाली तथा जोखिम से निपटने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे उत्पादों द्वारा पैदा की गई कोई भी विसंगति एक स्वस्थ बाजार के विकास को हानि पहुंचायेगी, उसमें बाधक बनेगी।